फुटपाथ विक्रेताओं को मिलेगी अपनी पहचान

स्ट्रीट वेंडर्स को प्रमाण-पत्र देने के लिए सर्वे का कार्य हुआ शुरू

Directorate of Municipal Administration, Urban Development & Housing Department

DMA

फुटकर विक्रेताओं को मिलेगा पहचान-पत्र

- नगर प्रबंधक की देखरेख में हो रहा है सर्वे कार्य

प्रतिनिधि, कोडरमा बाजार

मौके पर उपस्थित लोग.

दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगर पंचायत क्षेत्र के फुटपाथ विक्रेताओं को क्यूआर आधारित पहचान-पत्र व प्रमाण-पत्र दिया जायेगा. इसके लिए नगर पंचायत द्वारा फुटकर विक्रेताओं का सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है.

नगर प्रशासक जितेंद्र कुमार जैसल ने इस आशय की जानकारी दी. बताया कि फुटकर विक्रेताओं का सर्वे कार्य नगर प्रबंधक की देखरेख में नगर पंचायत के सीआरपी व सामुदायिक संगठनकर्ता द्वारा किया जा रहा है. सर्वे के दौरान प्रत्येक फुटकर विक्रेताओं से उनके परिवार की पूरी विवरणी फर्म में दर्ज किया जा रहा है. उन्होंने टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों से अपील की है कि वे इस कार्य में सहयोग करें और अधिक से अधिक फुटकर विक्रेताओं को इसके लिए जागरूक करें.

साथ ही जिन फुटकर विक्रेताओं ने अभी तक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार की वित्तीय सहायता लेने को लेकर ऑनलाइन आवेदन नहीं दिया है, वे अविलंब आवेदन करें, ताकि उन्हें योजना का लाभ दिया जा सके. इसके अलावा जिन फुटकर विक्रेताओं ने प्रथम किस्त की राशि 10 हजार रुपये वापस कर दी है, उन्हें पुनः 20 हजार की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी. इसके लिए वे ऑनलाइन आवेदन करें. श्री जैसल ने बताया कि योजना के तहत चयनित फुटकर विक्रेताओं को तीन किस्तों में 80 हजार रुपये की वित्तीय सहायता बैंकों द्वारा दिये जाने प्रावधान है, ताकि वे लोग अपना व्यवसाय कर आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकें.

नगर प्रशासक ने कहा कि सब्जी विक्रेता कोडरमा बाजार स्थित वेंडिंग जॉन में ही अपनी दुकान लगायें. मौके पर नगर मिशन प्रबंधक संजीत कुमार साहू, सामुदायिक संगठनकर्ता रश्मि कुमारी सिन्हा, रेणु देवी, प्रीति देवी, पूनम देवी आदि मौजूद थे.

फुटपाथ दुकानदारों को प्रमाण पत्र देने के लिए शुरू हुआ सर्वे

कोडरमा | संवाददाता

दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को क्यूआर आधारित पहचान पत्र और प्रमाण पत्र बनाने के लिए सर्वे का कार्य नगर पंचायत के सीआरपी और सामुदायिक संगठनकर्ता द्वारा नगर मिशन प्रबंधक की देखरेख में किया जा रहा है।

उक्त बातें नगर पंचायत कोडरमा के प्रशासक जितेंद्र कुमार जैसल ने 19 जुलाई को कही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रत्येक पथ विक्रेता का विवरणी फार्म में भरकर पथ विक्रेता के दो पासपोर्ट आकार का फोटो, एक स्वयं का और दूसरा स्वयं के साथ यदि परिवार के कोई सदस्य दुकान में सहयोग करते हैं, तो उनके साथ फार्म में चिपकाकर जमा करना है। उन्होंने टाउन वेंडिंग कमिटी के सदस्यों से अपील किया कि इस कार्य में वे सहयोग करें और पथ विक्रेताओं को इसके लिए जागरुक करें, ताकि निर्धारित समय सीमा में इस कार्य को पूरा किया जा सके। पथ विक्रेताओं से अपील करते हुए कहा कि वे अपने साथ उपरोक्त वर्णित दो फोटो, अपना और अपने सहयोगी का आधार कार्ड, अन्य पहचान पत्र अपने साथ रखें, ताकि सर्वेक्षण के समय उनका पूर्ण विवरण भरा जा सके और दस्तावेजीकरण भी किया जा सके।

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार

Toll free no.: 1800-120-2929 | Website : www.dmajharkhand.in | Follow us on : @JharkhandDMA